29/05/21 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई।
प्रार्थना पत्र के संबंध में संक्षिप्त
तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत धारा 136 LR Act पेशकर
निवेदन किया कि ग्राम हुंडापुरा प०मा०
सासेढ़ी के आराजी खसरा नम्बर 321,
323 में प्रार्थी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड
है, परन्तु प्रार्थी का नाम बल्लीलाल
दर्ज है, जो कि गलत है मेरे समस्त

तारीख हुक्म	बत्तूलाल Vs सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	अन्य दस्तावेजो मे मेरा सही नाम बत्तूलाल दर्ज है और अन्य समस्त दस्तावेजो अनुसार ही मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर उभयपक्षकारान को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश नही कर प्रार्थना पत्र पर सीधी बहस की। उपरोक्त प्रार्थना पत्र को उभय पक्षकारान की बहस एवम् पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजों के आधार पर निर्णीत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाकर TDR करौली को निर्देशित किया जाता है कि बाबत ग्राम ढूंडापुरा प० स० ससेडी के ख. न. 321, 323 में प्रार्थी का सही नाम बत्तूलाल दुरुस्त किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखा गया। [signature]	